

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय
'दीपभवन', एम.जी.मार्ग, घाटकोपर (पूर्व),
मुंबई 400077 (महाराष्ट्र)



Govt. of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
**DIRECTORATE OF LIGHTHOUSES &
LIGHTSHIPS**
'Deep Bhavan', M. G. Road, Ghatkopar (East),
Mumbai 400077 (Maharashtra)

दूरभाष / Telephone : 022 - 25068390 ई-मेल / E-mail : dte-mum@gov.in

EM-Mum-10046(71)/1/2023-Electrical

अनुभाग/SECTION-I
Date- 05/08/2026

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, मुंबई द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग, एमईएस, रेलवे, बीएसएनएल या किसी भी अन्य केन्द्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि में पंजीकृत प्रतिष्ठित ठेकेदारों/ उपयुक्त श्रेणी की फ़र्मों से केवल ऑनलाइन प्रणाली द्वारा दो कवर प्रणाली (कवर I- तकनीकी बोली, कवर II- कमर्शियल बोली) में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम सं	विवरण	विवरण
1	कार्य का नाम	मुंबई निदेशालय के अंतर्गत राजापुर, नानवेल, कान्होजी आंग्रे, उत्तन, सातपाटी, कनाई क्रीक, वासी बोरसी और लुहारा दीपस्तंभ में सीसीटीवी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग करने हेतु।
2	कार्य स्थल	Annexure -VI के अनुसार I
3	अनुमानित लागत/ put to tender	₹ 65,97,000 /- (Inclusive GST)
4	बयाना जमा	₹ 1,31,940/- का मांग ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद (FDR) के रूप में किसी भी शिडुल्ड बैंक द्वारा “निदेशक- दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, मुंबई” के पक्ष में मुंबई में देया बयाना जमा तकनीकी बोली खोलने की तिथि से तीन माह तक की अवधि के लिए वैध होगी। बयाना जमा सभी बोलीदाताओं के लिए अनिवार्य है।
5	निविदा शुल्क	₹ 0/-
6	बीड दस्तावेज डाउनलोड और बोली प्रस्तुत करने की अवधि	05/08/2026(1500hrs) to 20/08/2026(1500 hrs)
7	प्री-बीड मीटिंग	Pre-bid Meeting 13/08/2026 at 1500 hrs (prebid meeting will be at Deep Bhavan, M G Road Mumbai-400077.)
8	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	21/08/2026 (1500 hrs)
9	बयाना जमा/ निविदा शुल्क (असल) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20/08/2026 (1700 hrs)
10	बोली की वैधता	180 दिन (तकनीकी बोली खोलने की तिथि से)
11	कार्य पूर्ण करने की अवधि	03 महीने

बयाना जमा

1. बयाना जमा ₹1,31,950/- का मांग ड्राफ्ट,सावधि जमा रसीद (FDR) के रूप में किसी भी शिडुल्ड बैंक द्वारा “निदेशक - दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय , मुंबई” के पक्ष में मुंबई में देय जमा करना है। बयाना जमा तकनीकी

बोली खोलने की तिथि से तीन माह तक की अवधि के लिए वैध होगी। बयाना जमा (डी डी) की मूल प्रति निश्चित दिन और समय पर या उससे पहले इस कार्यालय में रजिस्टर्ड/ स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार/ अयोग्य समझा जाएगा। किसी भी डाक देरी पर विचार नहीं किया जाएगा। **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ पंजीकृत फ़र्म भी ईएमडी जमा करें।**

2. कार्य का विवरण निविदा दस्तावेज में उपलब्ध हैं है जो केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल वेबसाइट <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> & dgll.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है और बोली केवल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर निविदा जमा करने की अंतिम तारीख और समय तक ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। प्रत्यक्ष रूप से निविदा दस्तावेज की बिक्री लागू नहीं है।
3. बोली खंड 3.1 में परिभाषित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले सभी पात्र बोलीदाताओं के लिए खुला है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें और खुद को संतुष्ट करें कि वे पात्रता मानदंड को पूरा कर रहे हैं। **ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे जगह का आकलन करें और उसके अनुसार ही बोली लगाएँ।**
4. तकनीकी मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण होने पर, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की कमर्शियल बोली समिति द्वारा खोली जाएगी। सफल बोलीदाता तय करने में दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय का निर्णय अंतिम और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
5. बोलीदाता पात्रता मानदंड, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, तकनीकी आवश्यकता, काम की गुंजाइश, अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तें और बोली के संबंध में अन्य सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बोलीदाता उपरोक्त सभी मदों को ध्यान में रखकर उसकी करें उद्भूत करें।
6. निदेशक- दीपस्तंभ और दीपपोत, मुंबई बोली स्वीकार करने या खारिज करने के लिए खुद के लिए अधिकार सुरक्षित रखते हैं। बोलीदाता उद्भूत दरों पर ही निष्पादन करने के लिए बाध्य रहेगा।
7. प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, बोली के संबंध में प्रचार सख्त वर्जित है। बोलीदाताओं द्वारा प्रचार के सहारे प्रस्तुत बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
8. बोलीदाताओं जिसका निकट के रिश्तेदारों दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में लेखाकार के रूप में या किसी राजपत्रित अधिकारी के रूप में किसी भी क्षमता में तैनात है उनको बोली के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. संभावित बोलीदाता दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में किसी भी राजपत्रित अधिकारी के निकट रिश्तेदार जो किसी भी क्षमता में उनके साथ कार्यरत हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं ऐसे व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा। बोलीदाता द्वारा इस हालत के किसी भी उल्लंघन के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। निकट रिश्तेदारका मतलब है पत्नी, पति, माता-पिता, दादा-दादी, बच्चों और पोते, भाइयों और बहनों, चाचा, चाची और कानून के अनुरूप।
10. बोलीदाता को बोली के संबंध में किसी भी बिचौलियों (एजेंटों आदि) को किए गए या किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना होगा।

11. भारत सरकार का कोई भी राजपत्रित अधिकारी सरकारी सेवा से संन्यास लेने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना एक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति नहीं है। बोली प्रस्तुत करने से पहले या ठेकेदार की सेवा में नियुक्ति से पूर्वोक्त अगर किसी भी समय किसी भी ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी ऐसे मिलते हैं जिसने भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की है, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
12. किसी भी निर्धारित तिथि को भारत सरकार द्वारा एक छुट्टी के रूप में घोषित किए जाने की घटना में निर्दिष्ट गतिविधियों को अगले कार्य दिवस पर नियत समय पर ले जाया जाएगा।
13. निविदा आमंत्रण सूचना सभी प्रकार के शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/निविदा की शर्तें इत्यादि संविदा/ अनुबंध दस्तावेज का एक हिस्सा होगा।

निदेशक /Director

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और के लिए

**For and on behalf of the President of
India**

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय
'दीपभवन', एम.जी.मार्ग, घाटकोपर (पूर्व),
मुंबई 400077 (महाराष्ट्र)



Govt. of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
**DIRECTORATE OF LIGHTHOUSES
& LIGHTSHIPS**
'Deep Bhavan', M. G. Road, Ghatkopar
(East), Mumbai 400077 (Maharashtra)

दूरभाष / Telephone : 022 - 25068390 ई-मेल / E-mail : dte-mum@gov.in

EM-Mum-10046(71)/1/2023-Electrical

Date- 05/08/2026

NOTICE INVITING e-TENDER

For & on behalf of President of India, Director of Lighthouses & Lightships, Mumbai invites online bids under two bid system (Part I-Technical bid, Part II- Commercial bid) from reputed contractors/ firms of appropriate category registered with CPWD, state PWD, MES, Railways, BSNL etc. or with any other Central/ State Government / Public sector organizations for the below work.

Sr. No.	Details	Description
1	Name of work	Supply Installation Commissioning and Testing of CCTV System at Rajapur, Nanwel, Kanhoji Angre, Uttan, Satpati, Kanai kreek, Wasi Borsi and Luhara Lighthouses under Mumbai Directorate. Bhavan under Mumbai Directorate
2	Location	As per Annexure-VI
3	Estimated Cost put to tender	₹ 65,97,256/- (Inclusive GST)
4	Earnest Money Deposit	₹ 1,31,950/- in the form of Demand Draft / Fixed Deposit Receipt (FDR) of any scheduled Bank in favour of "Director of Lighthouses and Lightships – Mumbai" payable at Mumbai. Earnest Money Deposit shall be valid for a period of Three months from the date of opening of technical bid
5	Tender Fees	₹ 0/-
6	Bid Document Download & Bid Submission Period	05/08/2026(1500hrs) to 20/08/2026(1500 hrs)
7	Pre bid meeting	Pre-bid Meeting 13/08/2026 at 1500 hrs (prebid meeting will be at Deep Bhavan, M G Road Mumbai-400077.)
8	Date of Opening of Technical Bids	21/08/2026 (1500 hrs)
9	Last date of submission of EMD (in original)	20/08/2026 (1700 hrs)
10	Bid validity	180 days from the date of opening of technical bid.

11	Period of completion of work	03 Month
----	------------------------------	-----------------

EMD

1. Earnest Money Deposit amounting to **₹1,31,950/-** shall be furnished in the form of Account Payee Demand Draft/ Fixed Deposit receipt (FDR) of any scheduled Bank in favour of “Director of Lighthouses and Lightships – Mumbai” payable at Mumbai. Earnest Money Deposit shall be valid for a period of three months from the date of opening of technical bid. The originals of EMD should be submitted to this office by Registered / Speed Post or by personally on or before the schedule day & time otherwise the uploaded bid shall be deemed to be rejected/ disqualified. Any postal delay will not be entertained. **Agencies/ Bidders registered with MSME, NSIC etc are also required to submit the required EMD.**
2. The details of work are available in the tender document which can be downloaded from website Central Public Procurement (CPP) Portal <http://eprocure.gov.in/eprocure/app & dgll.nic.in> and the bid is to be submitted online only on <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> upto last date and time of submission of tender. **Sale of physical tender document is not applicable.**
3. Bidding is open to all eligible Bidders meeting the eligibility criteria as defined in clause 3.1. Bidders are requested to note and satisfy themselves that they fulfill eligibility criteria. **Contractors are advised to assess the site and quote accordingly.**
4. Technical evaluation shall be carried out by a Committee. On completion of technical evaluation, the Commercial Bids of the technically qualified bidders shall be opened by the Committee. The decision of the Directorate of Lighthouses & Lightships, Mumbai in deciding the successful bidder shall be final and binding on the bidders.
5. The Bidder shall carefully read the Eligibility Criteria, Instructions to Bidders, Technical requirement, Scope of work, General & Special conditions of contract and all other documents in connection with the Bid. The Bidder shall quote his rates, keeping all above points in mind.
6. The Director of Lighthouses & Lightships, Mumbai reserves the right to himself for accepting or rejecting the bid. Bidder shall be bound to perform the same at the quoted rates.
7. Canvassing whether directly or indirectly, in connection with Bid is strictly prohibited. The Bids submitted by the Bidders, who resort to canvassing, shall be summarily rejected.
8. Those Bidders whose near relatives are posted as accountant or as a Gazetted Officer in any capacity in the Directorate General of Lighthouses & Lightships shall not be permitted to Bid. The prospective Bidder shall also intimate the names of persons who are working

with him in any capacity or subsequently employed by him, who are near relative to any gazetted officer in the DGLL or in the MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS. Any breach of this condition by the bidder shall render him ineligible. By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents & grand parents, children & grand children, brothers & sisters, uncles, aunts & corresponding in laws.

9. The bidder shall disclose any payment made or proposed to be made to any intermediaries (agents etc) in connection with the bid.
10. No Gazetted Officer of Government of India is allowed to work as a contractor without prior permission of the Govt. of India in writing for a period of two years after his retirement from government service. The contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Govt. of India as aforesaid, before submission of the Bid or engagement in the contractor's service.
11. In the event of any specified date, being or declared as a holiday by the Government of India, the specified activities shall take place on or up to the appointed time on the next working day.
12. The Notice Inviting Bids, all types of corrigendum /addendums /terms and condition of tender etc. shall form the part of contract document.

Director
For and on behalf of the President of
India